प्रस्तावना

विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्राकोष जैसी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय एजेंसियों के दबाव में अपने देश में भी बड़े पैमाने पर जन–निजी भागीदारी (Public Private Partnership) के नए नाम पर पानी के निजीकरण को आगे धकेला जा रहा है। पहले यह **'जवाहरलाल नेहरू शहरी नवीकरण मिशन'** या JnNURM के तहत **'छोटे तथा मझौले नगरों की अधोसंरचना विकास योजना'** या UIDSSMT पर जारी था जो अब नए नाम से जारी रहेगा।

मध्यप्रदेश में खण्डवा और शिवपुरी की जलप्रदाय योजनाओं को पीपीपी के तहत निजी कंपनियों को सौंप दिया गया है। इन योजनाओं में लगने वाला 90% धन इस देश की जनता का है लेकिन छोटा सा निवेश करने वाली कंपनियों को सारे मुनाफे का मालिक बना दिया गया है। जन–निजी भागीदारी में तो वे जनता के धन से ही खुद मुनाफा कमाती है। UIDSSMT में जलप्रदाय योजनाओं का पीपीपी के तहत क्रियांवयन किए जाने को शिवपुरी और खण्डवा के समुदाय ने स्वीकार नहीं किया है तथा वहाँ इसका विरोध जारी है।

'छोटे तथा मझौले नगरों की अधोसंरचना विकास योजना' या UIDSSMT के प्रति देशभर में अच्छा उत्साह देखा गया। अगस्त 2010 तक के 5 वर्षों में इस योजना के तहत देश में 19,936 करोड़ रूपए की लागत वाली 979 योजनाएँ स्वीकृत की गई थी जिनमें से 10,478 करोड़ रूपए की 524 योजनाएँ जलप्रदाय से संबंधित थी। यदि इन योजनाओं में पानी से संबंधित अन्य योजनाएँ जैसे मलनिकास, तुफानी जलनिकास, जलस्रोतों का संरक्षण तथा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन भी शामिल कर लिया जाए तो कुल योजनाओं की संख्या 843 थी जिनकी कुल लागत 18,506 करोड़ रूपए थी। इस प्रकार यूआईडीएसएसएमटी में 93% राशि पानी से संबंधित योजनाओं पर खर्च की गई।

मध्यप्रदेश में भी यूआईडीएसएसएमटी की ओर स्थानीय निकायों का रूझान तेजी से बढ़ा है। जुलाई 2014 के आँकड़ों के अनुसार प्रदेश के 113 शहरों में 2857 करोड़ रूपए की 180 योजनाएँ जारी है जिनमें से 2367 करोड़ रूपए की लागत वाली 99 शहरों की 115 योजनाएँ पानी संबंधित है। होशंगाबाद की योजना नाम के लिए जुलाई 2014 से प्रारंभ हो चुकी है लेकिन इसका संचालन चुनौतीपूर्ण है। पिपरिया को अनुदान की दूसरी किश्त मिल चुकी है लेकिन क्रियांवयन के मामले में बहुत पिछड़ी है। विभागीय रिपोर्टों के अनुसार इटारसी की योजना निर्माण में अत्यधिक पिछड़ी है। तेंदूखेड़ा और करेली में भी इन योजनाओं को लागू किया जाना है।

UIDSSMT मार्च 2014 में समाप्त किया जा चुका है। अत: जलप्रदाय व्यवस्था के निजीकरण को छोटे–बड़े हर नगरीय निकाय तक सुनिश्चित करने हेतु मध्यप्रदेश सरकार ने **'मुख्यमंत्री शहरी पेयजल योजना'** बनाई है जिसमें पहले से ही तय है कि एक लाख से अधिक आबादी वाले नगरों में पीपीपी के माध्यम से ही जलप्रदाय योजनाएँ संचालित की जाएगी। पानी के लिए हर परिवार को नल कनेक्शन लेना होगा तथा बिल भरना जरूरी होगा। योजना के लिए वर्ष 2014-15 के बजट में 651 करोड़ का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री शहरी पेयजल योजना पहले चरण में 37 नगरों में लागू की गई थी। मार्च २०१४ तक ९७७ करोड़ की ७२ योजनाएँ स्वीकृत की जा चुकी है। योजना में तरीचर कलां, टोंक खुर्द और नामली जैसे ग्रामीण क्षेत्र, भीकनगाँव, कुक्षी, बदनावर और बड़वानी जैसे छोटे निकाय और धार, शहडौल और नीमच जैसे मझौले नगर शामिल हैं।

इसके अतिरिक्त एकमुश्त अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता योजना भी जारी है जिसके तहत 70 प्रतिशत केन्द्र और 30 प्रतिशत राज्य सरकार से अनुदान दिया जाता है। प्रदेश में 157 करोड़ की 11 योजनाएँ स्वीकृत हैं जिनमें से सेंधवा, महेश्वर और आलीराजपुर की योजनाएँ पूर्ण हो चुकी है। सेंधवा में योजना के तहत किए जा रहे सुधारों के विरोध में सुर उठने प्रारंभ हो चुके हैं।

मध्यप्रदेश के शहरों में पेयजल वितरण की स्थिति

प्रतिदिन	1 दिन छोड़कर	2 दिन छोड़कर	3 या अधिक दिन छोड़कर
176	97	47	40

स्रोत – मुख्यमंत्री शहरी पेयजल योजना दस्तावेज

वर्ष 2012 में मध्यप्रदेश सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में जलप्रदाय योजनाएँ संचालित करने हेतु **'मध्यप्रदेश जल निगम'** का गठन किया गया है। इसके तहत अभी कुछ समूह योजनाओं पर काम जारी है। योजना का लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्र के प्रत्येक घर में नल कनेक्शन देकर जलप्रदाय किया जाना है। जल निगम के उद्देश्यों में उद्योगपतियों, व्यवसायिकों, डिवेलपरों और वित्तीय संस्थाओं को जलप्रदाय योजना निर्माण हेतु आकर्षित किया जाना तथा नागरिकों से बिल वसूली का काम निजी कंपनियों को दिया जाना आदि शामिल है।

जुलाई 2013 में प्रदेश सरकार ने **म.प्र॰ जल विनियमन कानून** पारित किया है। इस कानून के तहत बनने वाला **जल विनियामक आयोग** प्रदेश में बाजार के सिद्धातों के अनुसार पानी का उपयोग निर्धारित करेगा। निमायक आयोग की कार्रवाई न्यायालयीन कार्रवाई की तरह होगी जिसके लिए बड़े वकीलों/सलाहकारों की सेवाएँ लेने की क्षमता पानी की लूट करने वाली कंपनियों और उद्योग समूहों के पास ही होगी। समुदाय के पास इस प्रकार के कौशल का अभाव बिजली क्षेत्र की तरह जलक्षेत्र को भी उनकी पहुँच से दूर कर देगा। संक्षेप में निजीकरण द्वारा संविधान के अनुच्छेद 21 में वर्णित जीने के अधिकारों के तहत नागरिकों के जल अधिकारों को नकार दिया जाएगा।

होशंगाबाद

होशंगाबाद को मालवा के राजा सुल्तान होशंगशाह गौरी द्वारा १५वीं सदी की शुरूआत में बसाया गया था। कहा जाता है कि इसका प्राचीन नाम नर्मदापूरम था। आजादी के पूर्व यह मध्यप्रांत और बरार राज्य के अंतर्गत नर्मदा जिले के अंतर्गत आता था।

जिल से नर्मदा और तवा जैसी बड़ी नदियाँ गुजरती है। अन्य नदियों में दूधी और देनवा प्रमुख है। जिले के अंतर्गत प्रदेश के एकमात्र पहाड़ी पर्यटन स्थल पचमड़ी में एक विशाल झील भी है। यहाँ की औसत वार्षिक वर्षा 1340 मिमी है। भू–जल की स्थिति बेहतर है।

वर्तमान जलप्रदाय व्यवस्था

नगर की जलप्रदाय भूजल पर आधारित है। जलप्रदाय हेतु नगर में 58 बोरवेल है। 76 में 71 हेण्डपंप काम कर रहे हैं। 6 कुओं से भी जलप्रदाय किया जाता है।

होशंगाबाद में विभिन्न स्रातों से जलप्रदाय

मौसम/स्रोत	ट्यूबवेल	कुएँ	अन्य	योग
वर्षा	7	2	1	**10**
शरद	7	2	1	**10**
गर्मी	6.5	2	0	**8.5**

स्रोत – डीपीआर पृष्ठ–16

वर्ष २०११ की जनगणना के अनुसार 1,17,988 जनसंख्या वाले नगर में साल के 8 माह 10 एमएलडी जलप्रदाय किया जाता है। सिर्फ गर्मी के दिनों में जलप्रदाय घटकर 8.5 एमएलडी होता है। इस प्रकार सालभर का औसत जलप्रदाय 9.5 एमएलडी है। इस प्रकार पूरे शहर में औसत जलप्रदाय 80 लीटर/व्यक्ति/दिन है।

जल भण्डारण हेतु 7 ओवरहेड टंकियाँ है जिनकी कुल क्षमता 39 लाख 72 हजार लीटर है।[1] 33 वार्डों वाले नगर में 7561 घरेलू, 424 व्यावसायिक तथा 1520 सार्वजलिक कनेक्शन है। वर्तमान में संचालित जलप्रदाय योजना के लिए जल दरें घरेलू नल कनेक्शन के लिए 60 रुपए/माह और व्यावसायिक कनेक्शन के लिए 120 रुपए/माह है।

नई जलप्रदाय योजना

नई योजना में नर्मदा से 32 एमएलडी कच्चा जल प्राप्त कर 28 एमएलडी[2] शुद्ध जल प्रदाय किया जाना है। नई योजना का लक्ष्य नगर की 2040 की जनसंख्या 2,05,000 के लिए गर्मी के दिनों में भी निरंतर 135 लीटर/व्यक्ति/दिन के हिसाब से जलप्रदाय किया जाना है। इसके लिए 27.68 एमएलडी शुद्धिकृत जल के प्रदाय की जरूरत होगी। योजना का पहला चरण 2025 तक और उसके बाद दूसरा चरण 2040 चलेगा।

नगर में जलप्रदाय हेतु नर्मदा जल का 2 किमी तक परिवहन कर 19 मीटर तक लिफ्ट किया जाएगा।[3] 12 किमी वितरण लाईनें डाली जाएगी।

नगर की वर्ष 2010, 2025 और 2040 की जलप्रदाय जरूरत हेतु आवश्यक कच्चे पानी की मात्रा आंकलन क्रमश: 18, 24 और 32 एमएलडी किया गया है।[4]

योजना लागत

अ॰क्र॰	मद	लागत (लाख रुपए)
1	इंटेक वेल और पंप हाउस	151.00
2	इंटेक वेल से फिल्टर प्लांट तक 750 mm GRP पाईपलाईन	65.96
3	24 mld क्षमता का फिल्टर प्लांट	336.00
4	क्लियर वाटर पंप हाउस	71.25
5	200-600 mm DI लाईनें	503.00
6	40 लाख लीटर क्षमता की ओवर हेड टंकियाँ	340.00
7	125-150 mm HDPI वितरण लाईनें	101.00
योग		**1568.21**
	आकस्मिक 3%	47.05
कुल लागत		**1615.26**

स्रोत–डीपीआर पृ–95, 96

---

[1] ओवर हेड टंकियों की पृथक–पृथक क्षमता नई नर्मदा योजना के डीपीआर में पृष्ठ-00 (डीपीआर का सारांश वाला। संभवत: यह हिस्सा बाद में जोड़ा गया है इसलिए इसका पृष्ठ क्र॰-00 दिया गया है।) और पृष्ठ-15 पर दी गई है लेकिन कंसलटंट ने दोनों ही स्थानों पर जोड़ की गलती कर भण्डारण क्षमता मात्र 30 लाख 74 हजार लीटर भण्डारण क्षमता बताई है। गलत केलकुलेशन के कारण 8 लाख 98 हजार लीटर की भण्डारण क्षमता कम कर दी।

[2] डीपीआर में कहीं 24 एमएलडी शुद्ध जल प्रदाय करने का भी उल्लेख है। यदि 32 एमएलडी में से 15% वितरण हानि और 3% शुद्धिकरण और वितरण हानि को घटाया जाए तो 26.24 एमएलडी जलप्रदाय संभव है।

[3] नर्मदा से सातरस्ता चौक तक ऊँचाई का 19 मीटर का अंतर है।

[4] डीपीआर पृष्ठ-28. पर दी गई तालिका में कंसलटेंट शुद्धिकृत जल की मात्रा लिखना ही भूल गया है।

योजना की वकालत करते हुए कहा गया है कि भोपाल जैसे नर्मदा से दूर के शहरों में नर्मदा का पानी जा रहा है और होशंगाबाद इससे वंचित है। साथ ही नर्मदा किनारे होने के कारण योजना का संचालन/संधारण खर्च कम होने के कारण यह योजना बनाने का तर्क भी दिया गया है।[5]

नई योजना में वर्तमान में निर्मित ओवरहेड टंकियों का उपयोग किया जाएगा तथा 4 लाख लीटर क्षमता की 9 नई टंकियाँ बनाई गई है।

योजना को यूआईडीएसएसएमटी के तहत स्वीकृत करवाया गया है जिसे 17 सितंबर 2007 को राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी द्वारा तथा 17 सितंबर 2009 को राज्य स्तरीय साधिकार समिति द्वारा मंजूरी दी गई है।

योजना की स्वीकृत लागत 16.15 करोड़ रुपए थी लेकिन न्यूनतम निविदा एसएमसी कंपनी (मुंबई) की 31.50 करोड़ रुपए की प्राप्त हुई थी जिससे 9 सितंबर 2010 को दुबारा निविदा जारी की गई। इस बार 4 कंपनियों दारा कंस्ट्रक्शन (जोधपुर), तेजस कंस्ट्रक्शन (पुणे), गोंडवाना इंजीनियरिंग (नागपुर), एसएमसी (ठाणे) द्वारा निविदाएँ प्रस्तुत की गई। दारा कंस्ट्रक्शन को छोड़कर शेष 3 निविदाएँ सही पाई गई जिनमें से एसएमसी द्वारा प्रस्तुत न्यूनतम दर 24.81 करोड़ रुपए को स्वीकार किया गया।[6] राज्य स्तरीय तकनीकी समिति द्वारा 27 नवंबर 2011 को 24.81 करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी दी गई।

यूआईडीएसएसएमटी के तहत योजना लागत का 80% केन्द्र शासन से तथा 10% राज्य शासन से अनुदान प्राप्त होता है। शेष राशि स्थानीय निकाय को वहन करनी होती है। योजना की स्वीकृत लागत 16.15 करोड़ रुपए के हिसाब से 12.92 करोड़ रुपए केन्द्र सरकार से तथा 1.61 करोड़ रुपए राज्य शासन से अनुदान प्राप्त हुआ। शेष 1.69 करोड़ रुपए नगरपालिका ने निवेश किए। नगरपालिका ने योजना हेतु अपना अंशदान जुटाने हेतु नगरपालिका की संचित निधि, चुंगी क्षतिपूर्ति तथा शासन से प्राप्त अन्य मदों की राशि का उपयोग किया गया।[7] योजना की बढ़ी हुई लागत 8.66 करोड़ रुपए की प्रतिपूर्ति राज्य शासन द्वारा की गई।

नगरपालिका ने एसएमसी को 21 फरवरी 2011 को कार्यादेश जारी किया लेकिन 18 दिसंबर 2011 को योजना का शिलान्यास हो पाया। कार्यादेश के अनुसार काम पूर्ण करने की अवधि 18 माह थी यानी 20 अगस्त 2012 तक योजना तैयार हो जानी थी। योजना काफी पिछड़ते हुए साढ़े 3 वर्ष में पूरी हो पाई लेकिन इसमें समस्याओं के कारण जलप्रदाय अभी तक सुचारू नहीं हो पा रहा है।

योजना में देरी के चरण

21 फरवरी 2011	एसएमसी को कार्यादेश जारी। निर्माण अवधि 18 माह थी जिसके अनुसार 20 अगस्त 2012 तक योजना पूर्ण की जानी थी।
20 जुलाई 2012	यूआईडीएसएसएमटी समीक्षा मीटिंग में योजना 31 दिसंबर 2012 तक पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया।
20 अगस्त 2012	एसएमसी ने निर्माण अवधि एक वर्ष बढ़ाने की माँग की।
22 सितंबर 2012	यूआईडीएसएसएमटी की समीक्षा बैठक में योजना पूर्ण करने की अवधि मई 2013 तक बढ़ाई गई।
19 अक्टूबर 2012	यूआईडीएसएसएमटी समीक्षा मीटिंग में नगरपालिका के प्रतिनिधि ने योजना मार्च 2013 तक पूर्ण होने का आश्वासन दिया।
5 दिसंबर 2012	नगरपालिका ने एसएमसी को पत्र लिखकर याद दिलाया कि कार्य पूर्ण करने की सीमा 31 दिसंबर 2012 लेकिन कंपनी का काम संतोषजनक नहीं है।
17 अप्रैल 2013	यूआईडीएसएसएमटी की समीक्षा बैठक में आयुक्त नगरीय प्रशासन द्वारा दिसंबर 2013 तक कार्य पूर्ण करने की हिदायत।

[5] डीपीआर पृष्ठ-18.

[6] नगरपालिका का आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास को पत्र दिनांक 20 नवंबर 2010 और 20 अप्रैल 2012

[7] 18 जुलाई 2011 को आयोजित नगरपालिका के विशेष सम्मेलन में पारित संकल्प क्र॰-142

20 मई 2013	कंपनी द्वारा 30 मई 2013 तक कार्य पूर्ण करने में असमर्थता जताने पर नगरपालिका ने अवधि बढ़ाने से इंकार कर इसी समयसीमा में कार्य पूर्ण करने का पत्र लिखा।
22 जुलाई 2013	यूआईडीएसएसएमटी की समीक्षा बैठक में कार्य पूर्ण करने की सीमा 15 अगस्त 2013 बढ़ाई।
30 अक्टूबर 2013	कार्यपूर्णता रपट में इस दिन काम पूर्ण होना दर्शाया।
13 अगस्त 2014	2 वर्ष देरी से तैयार योजना का मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान द्वारा उद्घाटन।
30 नवंबर 2014	नर्मदा योजना से जलप्रदाय शरू होना शेष।

स्रोत–योजना से संबंधित पत्राचार और फाईल नोटिंग

वित्तीय आंकलन

वर्ष 2006-07 का सालाना जलप्रदाय खर्च 79.50 लाख रुपए था जिसमें से जलदरों से वसूली मात्र 22.75 लाख रुपए यानी कुल खर्च का 28.62% ही हो पाई। हालांकि वसूली दर में उतार–चढ़ाव होते रहे हैं लेकिन वर्ष 2001-02 से 2006-07 के बीच के वर्षों की औसत वसूली दर 43.51% प्रतिशत ही रही। यूआईडीएसएसएमटी जैसी रिफार्म योजना, जिसमें संचालन/संधारण लागत की पूर्ण वसूली की शर्त है, के हिसाब से यह वसूली अत्यधिक कम है।

होशंगाबाद जलप्रदाय आय–व्यय

वर्ष	**व्यय** (लाख रुपए)	**आय** (लाख रुपए)	**वसूली प्रतिशत**
2001-02	38.00	24.00	63.16
2002-03	50.00	23.00	46.00
2003-04	54.00	19.00	35.19
2004-05	49.00	23.00	46.94
2005-06	51.00	21.00	41.18
2006-07	79.50	22.75	28.62
2011-12	133.34	41.82	31.36
2012-13*	289.05	44.2	15.29

स्रोत–डीपीआर पृष्ठ-129 और बजट दस्तावेज। *अनंतिम आँकड़े।

वर्तमान योजना में पानी का परिवहन कम होने से सस्ते में जलप्रदाय योजना संचालित हो जाती है लेकिन नई योजना की अधिक संचालन/संधारण लागत वसूलने के कारण कारण जलदरों में भारी बढ़ौत्तरी करनी होगी।

यूआईडीएसएसएमटी की शर्तों के तहत जल और संपत्ति कर की दरें वसूली दर दोनों बढ़ाई जानी हैं। लेकिन स्थानीय निकाय जनाक्रोश के डर से जल दरों में उतनी वृद्धि नहीं कर पा रहे हैं। नगरीय निकायों द्वारा दर वृद्धि नहीं किए जाने कारण वर्ष 2011 में केन्द्र सरकार ने अपने अनुदान पर रोक लगा दी थी और राज्य की कई योजनाएँ ठप्प हो गई थी।[8] तब नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के प्रमुख सचिव को केन्द्र सरकार को आश्वासन देना पड़ा था कि योजनाएँ प्रारंभ के बाद दरें बढ़ा कर जलप्रदाय, और कचरा निपटान के संचालन–संधारण खर्च की पूर्ण लागत वसूली की जाएगी। इसी कारण प्रदेश शासन द्वारा नगरीय निकायों को दरें बढ़ाने हेतु लगतार निर्देशित किया जा रहा है।[9] लेकिन इसके बावजूद होशंगाबाद नगरपालिका न तो जलदरें

[8] प्रदेश के मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली राज्य स्तरीय साधिकार समिति की दिनांक 13 जून 2011 को आयोजित मीटिंग का कार्यवृत्त

[9] यूआईडीएसएसएमटी समीक्षा मीटिंग (20 जुलाई 2012) में भी नगरीय प्रशासन विभाग के आयुक्त ने जलकर एवं संपत्तिकर की दरों मे प्रतिवर्ष उत्तरोत्तर वृद्धि करने तथा यूजर चार्जेस की शतप्रतिशत वसूली के संबंध में समझाईश दी। साथ ही संचालन संधारण लागत कम करने की भी सलाह दी।

बढ़ा पा रही है और न ही वसूली दरों में सुधार दिखाई दे रहा है। वर्ष 2012-13 में खर्च के मुकाबले वसूली मात्र 15.29% थी।

नर्मदा योजना का सालाना संचालन/संधारण खर्च

वर्ष	मद	खर्च (लाख रुपए)
1	बिजली	65.79
2	फिटकरी	25.63
3	चूना	1.80
4	क्लोरीन	0.42
5	मेंटनेंस खर्च	0.20
6	अन्य रसायन	0.10
7	इंटेकवेल और रॉ वाटर पंप हाउस का मेंटनेंस	0.79
8	क्लियर वाटर पंप हाउस का मेंटनेंस	1.14
9	ट्रिटमेंट प्लांट का मेंटनेंस	6.72
10	वितरण लाईनों का मेंटनेंस	0.77
11	वेतन एवं मजदूरी	20.00
योग		**123.36**

स्रोत–डीपीआर पृ–122, 123

सलाहकार के आंकलन के मुताबिक यदि समय से यह योजना प्रारंभ होती तो संचालन के पहले वर्ष 2012 में इसका संचालन संधारण खर्च 1 करोड़ 23 लाख रुपए होता। लेकिन सलाहकार द्वारा किया गया संचालन/संधारण खर्च का आकलन बहुत ही कम प्रतीत होता है। योजना को लाभदायक सिद्ध करने हेतु अक्सर फायदों को बढ़ाचढ़ा कर प्रस्तुत किया जाता है और लागतों को कम करके दिखाया जाता है। संभव है कि यहाँ सलाहकार ने ऐसा ही किया हो। जबकि वर्ष 2012-13 में ही वर्तमान योजना का संचालन संधारण खर्च बढ़कर 2 करोड़ 89 लाख रुपए हो चुका था। नई योजना में पानी का लम्बा परिवहन होगा तथा प्रदाय किए जा रहे पानी की मात्रा भी वर्तमान से डेढ़ गुना अधिक होने का दावा किया जा रहा है। यदि लम्बे परिवहन को नजर अंदाज कर दें तथा 2 वर्ष पुराने (2012-13) जलप्रदाय पर हुए खर्च को ही डेढ़ गुना मान लें तब भी संचालन संधारण 4 करोड़ 33 लाख रुपए होगा यानी एक किलोलीटर पानी की कीमत होगी 12.50 रुपए। यह दर काफी अधिक है और इस हिसाब से भी वर्तमान कनेक्शनों से शतप्रतिशत वसूली पर होने पर जल दरें 450 रूपए/माह करनी पड़ेगी। नागरिक इतनी जलदरें चुकाने के न तो आदी है और न हीं बहुतों की क्षमता है।

जलप्रदाय का सीमित दायरा

सबसे बड़ी चुनौती जलप्रदाय का दायरा बढ़ाने की है। 1,17,988 जनसंख्या वाले होशंगाबाद में परिवार का आकार 5.3 सदस्य[10] है। इस हिसाब से यहाँ 22,262 परिवार होने चाहिए। घरेलू नल कनेक्शनों की संख्या 7561 है अर्थात् मात्र 40,073 नागरिकों या एक तिहाई जनसंख्या को ही व्यक्तिगत कनेक्शनों से जलप्रदाय किया जाता है। शेष दो तिहाई परिवार या 77,915 नागरिक पानी की जरूरत हेतु सार्वजनिक स्रोतों जैसे हेण्डपंप, ट्यूबवेल, कुओं आदि पर निर्भर है।

---

[10] होशंगाबाद की नगर विकास योजना पृ॰-24. हमने प्रत्येक नल कनेक्शन पर एक परिवार को तथा व्यावसायिक कनेक्शन पर किसी परिवार को आश्रित नहीं माना है।

नगर के बड़े हिस्से को नलों से पानी नहीं मिलने का कारण यह है कि नगर के 33 वार्डों में से केवल 18 वार्डों में ही व्यक्तिगत नल कनेक्शनों द्वारा जलापूर्ति की व्यवस्था है जबकि शेष 15 वार्डों में नल कनेक्शनों के अतिरिक्त कुआँ, ट्यूबवेल, हेण्डपंप आदि मिश्रित स्रोतों से जलापूर्ति की जा रही है।[११]

होशंगाबाद में वर्तमान में 90 किमी वितरण लाईनें हैं जिनमें से 48.3 किमी लंबी मुख्य वितरण पाइपलाइन एवं 42 किमी लंबी आंतरिक वितरण लाईने जो मुख्यरूप से आधे शहर में ही है। इसके बावजूद नई योजना में केवल 12 किमी की वितरण लाईनों का ही प्रावधान रखा गया है। इस प्रकार नई योजना से भी जलप्रदाय का दायरा अपेक्षित रूप से नहीं बढ़ेगा और नगर के अनेक परिवारों को अन्य स्रोतों पर निर्भर रहना होगा।

लागत का बढ़ाया जाना

होशंगाबाद की जलप्रदाय योजना की लागत सितंबर 2007 में 16.1526 करोड़ रुपए थी। निविदा जारी करने पर अक्टूबर 2009 में एसएमसी इंफ्रास्ट्रक्चर्स प्रा॰ लि॰ (ठाणे) की न्यूनतम निविदा 31.50 करोड़ रुपए की प्राप्त हुई। लागत अधिक प्राप्त होने पर दूसरी बार निविदा जारी करने पर नवंबर 2010 में इसी कंपनी ने आश्चर्यजनक रूप से अपनी निविदा 24.81 करोड़ रुपए प्रस्तुत की। हालांकि यह लागत भी स्वीकृत लागत की अपेक्षा 8.66 करोड़ रुपए अधिक थी। समय के साथ योजना लागत बढ़ने का कारण महँगाई बढ़ना बताया गया। लेकिन कंपनी द्वारा प्रस्तुत लागत देश के थोक मूल्य सूचकांक की अपेक्षा अधिक थी।

होशंगाबाद योजना आकल्पन के दौरान

थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर लागत अंतर

तारीख	योजना का चरण	थोक मूल्य सूचकांक	सूचकांक में वृद्धि %	संभावित लागत (लाख रुपए)
17 Sep 2007	राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी द्वारा 16.1526 करोड़ रुपए की योजना को स्वीकृति।	126.1		
17 Sep 2009	राज्य स्तरीय साधिकार समिति की मीटिंग में योजना स्वीकृत की गई।	158.7	25.85	2032.52
16 Oct 2009	प्रथम निविदा के बाद एसएमसी द्वारा 31.50 करोड़ रुपए योजना लागत प्रस्तुत	161.2	27.84	2064.54
9 Sep 2010	पिछली निविदा में योजना लागत अधिक होने के कारण दुबारा निविदा जारी	169.3	34.26	2168.28
2 Nov 2010	एसएमसी की 24.81 करोड़ रुपए योजना लागत प्रस्तुत	171.7	36.16	2199.01
21 Feb 2011	एसएमसी को कार्यादेश जारी	175	38.78	2241.28

*थोक मूल्य सूचकांक के आँकड़े केन्द्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन, भारत के आर्थिक सलाहकार कार्यालय की वेबसाईट - http://www.eaindustry.nic.in/display_data.asp से 2 दिसंबर 2014 को डाउनलोड किए गए है। वृद्धि प्रतिशत ज्ञात करने के लिए सितंबर 2007 के सूचकांक 126.1 को आधार माना गया है। संभावित लागत में वृद्धि की गणना इसी आधार पर की गई है।

उपरोक्त तालिका के आधार स्पष्ट है कि योजना लागत का महँगाई से पूरा संबंध नहीं है बल्कि इसे किसी और कारणवश बढ़ाया गया और बढ़ने दिया गया। सितंबर 2007 और अक्टूबर 2009 के बीच थोक मूल्य सूचकांक में 27.84% वृद्धि हुई जिससे योजना लागत बढ़ कर 20.65 करोड़ रुपए हो जानी चाहिए थी लेकिन न्यूनतम निविदा 31.50 करोड़ रुपए की प्राप्त हुई। इसके एक वर्ष बाद नवंबर 2010 में इसी कंपनी ने आश्चर्यजनक रूप से 24.81 करोड़ रुपए की निविदा प्रस्तुत की। जबकि इस अवधि तक थोक मूल्य सूचकांक में 36.16% वृद्धि हो चुकी थी। हालांकि थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर इस समय योजना लागत 21.99

[11] होशंगाबाद की नगर विकास योजना पृ॰-39

करोड़ रुपए होनी चाहिए थी यानी महँगाई की प्रचलित दरों के मुकाबले 2.17 करोड़ रुपए अधिक लागत पर ठेका दिया गया। अधिक लागत का असर संचालन/संधारण खर्च पर भी पड़ता है।

डीपीआर विश्लेषण

होशंगाबद का डीपीआर बनाने का ठेका भोपाल की कसलटेंसी फर्म सोनी एण्ड एसोसिएट्स को योजना लागत के 0.90 प्रतिशत में दिया गया था। लेकिन डीपीआर निर्माण का काम गंभीरता से नहीं किया गया है। अनेक स्थानों पर आँकड़ों में त्रुटियाँ है। साधारण जोड़ की गलतियाँ है, एक ही आँकड़ें अलग–अलग स्थानों पर अलग दिखाया गया है। एक ही आँकड़े को शब्दों और अंकों में अलग लिखा गया है। केवल इतना ही नहीं योजना का जरूरी बताने हेतु गलत मानकों और आधारों का सहारा लिया गया है।

सलाहकार द्वारा डीपीआर की गई बड़ी गलतियाँ

गलती का प्रकार	विवरण
मानक	योजना का मूल उद्देश्य गर्मी के दिनों में भी निरंतर 135 लीटर/व्यक्ति/दिन जलप्रदाय करना है। यह मानक ठीक नहीं है। होशंगाबाद जैसे नगर, जहाँ भूमिगत सीवर लाईन नहीं हैं, के लिए व्यक्तिगत नलों से पानी लेने वालों के लिए मानक 70 लीटर/व्यक्ति/दिन तथा सार्वजनिक नलों से पानी लेने वालों के लिए 40 लीटर/व्यक्ति/दिन है। बड़े बजट की योजना बनाने हेतु गलत मानकों का प्रयोग किया जाता है।
आधार	डीपीआर के पृष्ठ-18 पर कहा गया है कि भोपाल जैसे दूर के शहरों में नर्मदा का पानी जा रहा है और होशंगाबाद इससे वंचित है। साथ ही नगर की नर्मदा से दूरी कम होने के कारण योजना का संचालन/संधारण खर्च कम होने का उल्लेख किया गया है।
नज़रिया	यह जलप्रदाय विभिन्न ट्यूबवेलों और कुओं से किया जाता है। इसलिए होशंगाबाद की जरूरत पूरी करने के लिए किसी एक स्रोत से जलप्रदाय की जरूरत है। जल प्रदाय के मामले में यह नजरिया गलत है। जलप्रदाय हेतु एक स्रोत पर निर्भरता अच्छी नहीं है। तंत्र में खामी होने पर या प्राकृतिक आपदा के समय संपूर्ण जलप्रदाय प्रभावित हो सकता है।
स्टेटमेंट	पृष्ठ-30 पर कहा गया है कि ट्यूबवेल से पानी लेने पर शुद्धिकरण संभव नहीं है। यह स्टेटमेंट गलत है। शुद्धिकरण किसी भी पानी का किया जा सकता है।
जानकारी	डीपीआर (पृष्ठ-12) के अनुसार वर्तमान में नगरपालिका 8.7 एमएलडी जलप्रदाय कर रही है। पानी की कमी दिखाने हेतु इसी आँकड़े के आधार पर गणना की गई है। जबकि पृष्ठ-16 की तालिका में साल के 8 माह 10 एमएलडी जलप्रदाय का उल्लेख है। सिर्फ गमी के दिनों में 8.5 एमएलडी होता है। इस हिसाब से सालभर का औसत जलप्रदाय 9.5 एमएलडी है।
जोड़	डीपीआर के पृष्ठ-00 और पृष्ठ-15 पर ओवर हेड टंकियों की भण्डारण क्षमता का योग किया गया है लेकिन दोनों ही स्थानों पर जोड़ गलत है। नगर की 7 ओवरहेड टंकियों में संग्रहित जल की मात्रा 39 लाख 72 हजार लीटर है। लेकिन कंसलटंट ने जोड़ की गलती कर 30 लाख 74 हजार लीटर ही भण्डारण क्षमता बताई है। गलत केलकुलेशन के कारण 8 लाख 98 हजार लीटर की भण्डारण क्षमता कम कर दी।
लापरवाही	**आधारवर्ष का अंतर –** डीपीआर में कहीं योजना का डिजाईन वर्ष 2037 (पृष्ठ-12) तो कहीं 2040 (पृष्ठ-2, 11) दिया गया है। **गलत प्रस्तुतिकरण –** पृष्ठ-123 पर संचालन/संधारण खर्च का योग अंकों में 1 करोड़ 23 लाख 37 हजार लिखा है। जबकि शब्दों में 84 लाख 25 हजार लिखा है। **गलत गणना** – शुद्धिकृत जल हेतु बिजली खर्च की गणना वर्ष 2005 से 2035 तक की गई है जबकि कच्चे जल हेतु बिजली खर्च की गणना वर्ष 2010 से 2040 तक की गई

	है। इसी प्रकार वर्ष 2014 के लिए शुद्धिकृत जल के पंपिंग हेतु बिजली की दर 4.50 रुपए/यूनिट जबकि कच्चे जल के पंपिंग हेतु बिजली की दर 5.50 रुपए/यूनिट के हिसाब से गणना की गई है। इस लापरवाही की ओर किसी का ध्यान नहीं गया। **अपर्याप्त आँकड़े –** पृष्ठ-28 की तालिका में वर्ष 2010, 2025 और 2040 की जलप्रदाय जरूरत हेतु आवश्यक कच्चे पानी की मात्रा का आंकलन क्रमशः 18, 24 और 32 एमएलडी किया गया है। लेकिन कंसलटेंट तालिका में शुद्धिकृत जल की मात्रा लिखना ही भूल गए। ऐसी गलतियाँ जनता के 24 करोड़ खर्च करने वाले विभाग और 22 लाख से अधिक कंसलटेंसी फीस वसूलने वाले सलाहकार की लापरवाही दर्शाती है।

स्रोत–भोपाल की कंसलटेंसी फर्म सोनी एण्ड एसोसिएट्स द्वारा बनाया गया डीपीआर।

गंभीर बात यह है कि कंसलटेंट की इन बड़ी त्रुटियों की ओर इतने वर्षों में न तो नगरपालिका का ध्यान गया और न ही राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी का। डीपीआर की इन गलतियों से स्पष्ट है कि इस महत्त्वपूर्ण दस्तावेज को न तो कोई पढ़ता (कई बार नगरीय निकायों के पास ऐसी क्षमता नहीं होती जिससे इन दस्तावेजों को पढ़ कर उस पर टिप्पणी की जा सकें) है और न ही इसकी विषयवस्तु पर कोई चर्चा होती है अन्यथा ये गलतियाँ सुधर जाती। यह स्थिति प्रदेश के जलप्रदाय परिदृश्य के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है।

योजना के प्रभाव

चूँकि योजना को यूआईडीएसएसएमटी के तहत स्वीकृत करवाया गया है इसलिए रिफॉर्म एजेंडे में स्वीकृत शर्तों को लागू करना पड़ेगा जिससे नगरीय निकाय समाज के कमजोर तबके के प्रति अपनी सामाजिक जवाबदेही को नकार देगा। सार्वजनिक नलों को बंद कर दिया जाएगा। पूर्ण लागत वूसली की जाएगी जिसके कारण जल दरें बढ़ाई जाएगी। जलप्रदाय में लगे कर्मचारियों को अनिवार्य सेवा निवृत्ति दे दी जाएगी और योजना का संचालन निजी कंपनी को देना पड़ेगा। होशंगाबाद की नगरविकास योजना के पृष्ठ-108 पर भी स्वीकार किया गया है कि जलप्रदाय योजना के संचालन/संधारण खर्च की वसूली योजना के निजीकरण से संभव है।